रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 1974/श्रावण 10, 1896

No. 203] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 1974/SRAVANA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st August 1974

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 224 of the Central Excise Rules, 1944, and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby recinds with immediate effect the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 118/74-Central Excises, dated the 22nd July, 1974.

2. The rescission of the said notification shall not affect its previous operation or any liability incurred thereunder, or any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence relating thereto or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply to the rescission of the said notification, as if such rescission were a repeal of an enactment by a Central Act.

[No. 120-C/74-C.E]

S. D. MOHILE, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1974

सा०का०नि० 345(अ०).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा भारत सरकार, वित्ति मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) सं० 118/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जुलाई, 1974 वाली अधिसूचना को तत्काल विखण्डित करती है।

2. उक्त अधिसूचना का विखण्डन उसके पूर्व प्रवर्तन या तद्धीनउप गत किसी दायित्व को या तत्सम्बन्धी किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अथवा यथापूर्वोक्त ऐसे किसी दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 उक्त अधिसूचना के विखण्डन को ऐसे लागू होगी मानों ऐसा विखण्डन केन्द्रीय अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का विखण्डन हो।

[सं 120-सी० 74 के० उ०]

सतीशचन्द्र द० मोहिले, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974